संख्या 31011/11/2000-स्था.(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नॉर्थ ब्लॉक
* * *

नई दिल्ली,
दिनांक : 23 अप्रैल, 2001

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय :- छुट्टी यात्रा रियायत - दावे की वास्तविकता का निर्धारण।**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार के दिनांक 6 मार्च, 1981 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.31011/11/79-स्था.(क), में शामिल वर्तमान अनुदेश अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करते हैं कि जब कभी सरकारी कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत के लिए अग्रिम प्राप्त किया जाए, तब उन्हें अग्रिम प्राप्त करने की तारीख से दस दिनों के अंदर अपना रेलवे टिकट सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करने चाहिए ताकि यह सिद्ध हो सके कि राशि का उपयोग वास्तव में उन्होंने टिकट खरीदने के लिए ही किया है। अग्रिम न लिए जाने वाले मामले में दावे के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने टिकट नंबर का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। रेल मंत्रालय द्वारा कंप्यूटरीकृत बुकिंग प्रणाली लागू किए जाने के बाद इस मामले की समीक्षा की गई है। चूंकि भारतीय रेल, टिकट के पी.एन.आर. नंबर के आधार पर ही टिकट बुकिंग के रिकॉर्ड का रखरखाव करती है अत: कर्मचारियों के दावे पर संदेह की स्थिति में नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा केवल टिकट नंबर के आधार पर मांगे गए सत्यापन प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत किए जाने के काम को भारतीय रेल ने असुविधाजनक बताया है। इसलिए अब यह निर्णय किया गया है कि आगे से एल.टी.सी. के लिए दावा करते समय सभी सरकारी कर्मचारी अपने आवेदन में टिकट नंबर के साथ-साथ पी.एन.आर. नंबर भी लिखेंगे।

2. कार्मिक और प्रशासानिक सुधार विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1981 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. 31011/11/79-स्था.(ए) के अनुदेशों में ऊपर पैरा-। में लिए गए निर्णय की सीमा तक संशोधन किया जाता है।

3. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के परामर्श से ये अनुदेश जारी किए गए हैं।

(श्रीमती एस. बंधोपाध्याय)
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग